

**प्राचार्य का कार्यालय**  
**श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर**

**कार्यालय आदेश**

डॉ० संजीव कुमार,  
ट्यूटर (टेन्योर), पी०एस०एम० विभाग,  
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर ।

विदित हो कि स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या-689 (17) दिनांक-12.12.2017 में निहित शर्तों के निदेशानुसार दिनांक - 11.12.2020 के अप० में आपका टेन्योर अवधि पूर्ण हो चुका है ।

अतएव नियमानुसार, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के अधिसूचना संख्या-1017 (2) दिनांक-11.09.2020 में निहित शर्तों के अधीन एवं श्री शैलेश कुमार, सरकार के उप सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के आदेश ज्ञापांक - 567 (2) दिनांक - 15.04.2021 के आलोक में आपको APHC, Machhahi, Sakra, Muzaffarpur (Sl. No. - 2578 पर अंकित) में सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी (मूल कोटि) के पद पर योगदान करने हेतु आज दिनांक -16.04.2021 के अप० से विरमित किया जाता है तथा निर्देश दिया जाता है कि आप विभागाध्यक्ष, पी०एस०एम० विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर के निदेशानुसार प्रभार सौंपते हुए नव पदस्थापित स्थान पर योगदान करने हेतु विरमित होना सुनिश्चित करेंगे । तत्पश्चात प्रभार प्रतिवेदन की आठ प्रति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित किया जाए ।

साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि आप अपने विभाग, केन्द्रीय भंडार, केन्द्रीय पुस्तकालय, लेखा शाखा एवं ईस्टेट ऑफिसर (आवास संबंधी) से संबंधित No Dues Certificate अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे तथा अग्रतर कार्रवाई की जाएगी ।

ह०/-

प्राचार्य

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय  
मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक:- 600/21

दिनांक:- 16-4-2021

प्रतिलिपि:-

- 1) प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- 2) सरकार के संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या - 1017 (2) दिनांक - 11.09.2020 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- 3) श्री शैलेश कुमार, सरकार के उप सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को उनके आदेश ज्ञापांक - 567 (2) दिनांक - 15.04.2021 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- 4) विभागाध्यक्ष, पी०एस०एम० विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
- 5) संबंधित चिकित्सक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- 6) Estate Officer/बरसर/लेखापाल/भंडार पदाधिकारी/पुस्तकालय सचिव, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
- 7) संबंधित कौषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- 8) महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- 9) सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- 10) प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, APHC, Machhahi, Sakra Muzaffarpur को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- 11) कॉलेज वेबसाईट ।

प्राचार्य

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय  
मुजफ्फरपुर

hw